

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 167-एक/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-11-12 पारित
द्वारा नायब तहसीलदार, चिंचोली प्रकरण क्रमांक 19/अ-6/11-12.

अभय पिता गुरुदत्त आर्य
निवासी विकास नगर चिंचोली
तहसील चिंचोली जिला बैतूल

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- अनिल पिता गुरुदत्त आर्य
निवासी विकास नगर चिंचोली
तहसील चिंचोली जिला बैतूल
- 2- संजय पिता गुरुदत्त आर्य
निवासी चिरायु हास्पिटल के पास बैतूल
तहसील व जिला बैतूल

.....अनावेदकगण

श्री राजकुमार सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, चिंचोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-11-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 सहित शांताबाई द्वारा नायब तहसीलदार, चिंचोली के समक्ष ग्राम चिंचोली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 263/21 व सर्वे क्रमांक 263/65 कुल रक्खा 0.23 हेक्टेयर के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 133/अ-27/2008-09 दर्ज कर दिनांक 10-11-2009 को आदेश पारित कर बटवारा आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किए

जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। तहसील न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ-6/11-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 2 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23-11-2012 को अंतरिम आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने के आदेश दिये गये। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 में प्रावधान है कि यदि जिन तथ्यों का ज्ञान पक्षकारों को पूर्व से है, उसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। उक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया गया है, और गुण-दोष पर निराकरण होना है एवं उभय पक्ष के साक्ष्य भी होना है, इस न्यायालय को केवल व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों को वृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निराकरण करना है। इस संबंध में अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें विधिवत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इसके बावजूद भी स्वीकार करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है।

(3) अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को रत्नलाल आर्य द्वारा गोद लिया जाकर गोदीनामा दिनांक 22-2-1973 को उप

(Signature)

(Signature)

पंजीयक के समक्ष पंजीकृत कराया गया है। आवेदक का ड्रायविंग लायसेंस, विधानसभा निर्वाचन नामावली में पिता के स्थान पर रत्नलाल आर्य का ही नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त आठवीं एवं ग्यारहवीं की अंकसूची में स्व. रत्नलाल आर्य का नाम आवेदक के पिता के रूप में दर्ज है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पिता गुरुदत्त आर्य के स्थान पर रत्नलाल आर्य का नाम संशोधित करने के आदेश देने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि वास्तव में आवेदक रत्नलाल आर्य का दत्तक पुत्र प्रमाणित है, और प्रश्नाधीन भूमि में उसकी हैसियत आपत्तिकर्ता की है। उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सर्वभूमि में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में समक्ष अनावेदक कमांक 2 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23-11-2012 को अंतरिम आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने के आदेश दिये गये। आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में जो बिन्दु उठाये गये हैं, वह तकनीकी हैं स्वरूप के हैं, और चूंकि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण अंतिम स्टेज पर नहीं, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, चिंचोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-11-12 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

यह आदेश प्रकरण कमांक 168-एक / 13 एवं प्रकरण कमांक 169-एक / 13 पर भी लागू होगना। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों के साथ संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर